राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: एफ.3(161)/पोषा/बजट घोषणा/आईसीडीएस/2023   जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला– अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी,
चित्तौडगढ, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर,
झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा,
प्रतापगढ, राजसमन्द, सवाई माधोपुर,
सिरोही, टोंक, उदयपुर, धौलपुर।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
परियोजना– संबंधित।

विषय :–धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत खोले गए 135 आंगनबाडी केन्द्रों पर गैस कनेक्शन एवं चूल्हा (दो बर्नर) उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :–निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ 11 (3) निर्माण/PM-JANMAN/ICDS/2023/RAJKAJ No. 15416428 दिनांक 23.05.2025 एवं एफ 11 (3) निर्माण/धरती आभा/ICDS/2023/ RAJKAJ No. 16066656 दिनांक 23.06.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत राज्य में वर्ष 2024–25 में 121 एवं वर्ष 2025–26 में 14, कुल 135 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त खोले गए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार को पकाने व दूध को गरम करने की सुगमता के लिए प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर गैस कनेक्शन एवं दो बर्नर गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रति आंगनबाडी केन्द्र एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राशि रू. 5300/– निर्धारित किए गए हैं।

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं इसी आयुवर्ग के अतिकुपोषित व अतिकम वजन वाले बच्चों को प्रति दिवस आंगनबाडी केन्द्र पर ही नाश्ता एवं गरम पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा गरम पूरक पोषाहार की रेसीपी के रूप में फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचडी, फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया एवं पौष्टिक उपमा प्रिमिक्स (मीठा–नमकीन) की आपूर्ति उक्त आंगनबाडी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त तीनों रेसीपी रेडी–टू–कुक हैं। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित लेखा मदों में बजट राशि जारी की जाती है। आंगनबाडी केन्द्र पर ही इन्हें पकाने हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ता को राशि 0.45 रू. प्रति लाभार्थी प्रति दिवस के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इस राशि से कार्यकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग करवाई जाएगी।

RajKaj Ref No.:
22617715
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Vasudev Malawat
Designation : Director
Date: 2026.06.04 11:55:08 IST
Reason: Approved

आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं इसी आयुवर्ग के अतिकुपोषित व अतिकम वजन वाले बच्चों को प्रति दिवस आंगनबाडी केन्द्र पर ही गरम मीठा दूध उपलब्ध कराया जाता है। 10 ग्राम मिल्क पाउडर से 100 मि.ली. गरम–मीठा दूध तैयार करने के लिए चीनी व ईंधन आदि पर प्रति लाभार्थी प्रतिदिवस 0.45 रू. (0.20 चीनी + 0.25 ईंधन/बर्तन सफाई बार) निर्धारित हैं। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित लेखा मदों में बजट राशि जारी की जाती है। आंगनबाडी केन्द्र पर ही गरम मीठा दूध तैयार करने हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ता को राशि 0.45 रू. प्रति लाभार्थी प्रति दिवस के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इस राशि से कार्यकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग करवाई जाएगी।

राज्य में वर्तमान में भारत सरकार की एल.पी.जी. गैस प्रदाता तीन कम्पनियों यथा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम के डीलर्स के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 की उप–धारा (2) के अनुसरण में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2013 को जारी एस.ओ. 135 की सारणी के आईटम संख्या 16 में एल.पी.जी. का क्रय इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आई.बी.पी., भारत पेट्रोलियम आदि से बिना निविदा क्रय किये जाने का अधिमान दिया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद नाम से एल.पी.जी. कनेक्शन दिया जाना है, जिसमें सिलेण्डर, रेग्युलेटर, पाइप, उपभोक्ता पासबुक, इन्सटालेशन व रिफिल सम्मिलित है। दो बर्नर होट प्लेट गैस चूल्हा (रेगुलर) तीनों गैस कम्पनियों के आंगनबाडी केन्द्र के निकटतम अधिकृत डीलर्स से लिया जा सकता है।

रिफिल कॉस्ट राज्य में बाजार से बाजार में मामूली अन्तर के साथ परिवर्तनशील हो सकती हैं, लेकिन तीनों कम्पनियों की दरें एक समान ही होंगी। रिफिल सिलेंडर की लागत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार महीने दर महीने बदल सकती हैं। अतः कुल लागत में मामूली अन्तर सम्भावित है। रिफिल कॉस्ट की वास्तविक लागत के अनुरूप अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर को भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में परियोजना स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की जाए –

1. गैस कनेक्शन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत खोले गए आंगनबाडी केन्द्र के नाम से लिया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत खोले गए आंगनबाडी केन्द्र के संचालन हेतु जिस निकटवर्ती केन्द्र की कार्यकर्ता को अस्थाई रूप से चार्ज दिया गया है यदि उसके द्वारा अपने मूल आंगनबाडी केन्द्र पर गैस कनेक्शन स्वयं के दस्तावेजों से प्राप्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में नए खुले आंगनबाडी केन्द्र पर उसी आंगनबाडी केन्द्र की सहायिका के दस्तावेजों से गैस कनेक्शन लिया जा सकता है।
3. इस व्यवस्था में कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र के नाम से एल.पी.जी. गैस कनेक्शन व चूल्हा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से उपाप्त करेगी।
4. आंगनबाडी केन्द्र के निकटतम अधिकृत डीलर से गैस कनेक्शन लेने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Vasudev Malawat
Designation : Director
Date: 2026.06.04 11:55:08 IST
Reason: Approved

5. आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को गैस कनेक्शन प्राप्त करने की आवश्यक जानकारी व प्रक्रिया से अवगत करायेंगे, इसमें महिला पर्यवेक्षकों का सहयोग लिया जाए जो कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए गैस कनेक्शन उपापन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगी।
6. महिला पर्यवेक्षक सम्बंधित एल.पी.जी. गैस प्रदाता डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर के द्वारा गैस कनेक्शन व चूल्हे की आंगनबाडी केन्द्रवार वांछित राशि की इकजाई सूची तैयार कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिसके आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी उतनी ही राशि धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत खोले गए आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के खाते में हस्तांन्तरित करेंगे।
7. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका अपने खाते से राशि आहरित कर अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर को उपलब्ध करायेगी। राशि प्राप्त होने पर अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर द्वारा आंगनबाडी केन्द्र के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जायेगा एवं अनुशंसित निर्धारित स्पेसिफिकेशन का दो बर्नर वाला होट प्लेट गैस चूल्हा (रेगुलर) (Two Burner Hotplate (Regular)) उपलब्ध कराया जायेगा। स्पेसिफिकेशन की पालना का दायित्व सम्बंधित डीलर का होगा।
8. गैस उपकरणों के सुरक्षित उपयोग एवं यथोचित रख–रखाव के सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 99433–792 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, इनकी पालना सुनिश्चित करावें (प्रति संलग्न)।
9. गैस कनेक्शन के रूप में प्राप्त सामग्री यथा 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर, रेग्युलेटर, पाइप, उपभोक्ता पासबुक तथा गैस चूल्हे की स्टॉक ऐन्ट्री आंगनबाडी केन्द्र पर दस्तावेजों में आंगनबाडी कार्यकर्ता के द्वारा की जायेगी एवं इसका सत्यापन सम्बंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा।
10. आंगनबाडी कार्यकर्ता के खाते में हस्तांतरित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रमाणन उपरान्त परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न है।
11. आंगनबाडी केन्द्रों को जारी गैस कनेक्शन के मूल दस्तावेज बाल विकास परियोजना कार्यालय में इकजाई रूप से संधारित किये जावें एवं इनकी सत्यापित छाया प्रति महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाडी कार्यकर्ता को उपलब्ध करायी जावे।

गैस कनेक्शन व दो बर्नर चूल्हा के उपापन के लिए वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या 162601172 दिनांक 29.05.2026 के द्वारा लेखा मद 2236–02–101–01–02–22 (राज्य निधि) (SF) में प्रति आंगनबाडी केन्द्र राशि रूपये 5300/– का प्रावधान किया गया है। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त लेखा शीर्ष से एफ.वी.सी. विपत्र के जरिए कोषालय के माध्यम से राशि आहरित कर आंगनबाडी कार्यकर्ता के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by Vasudev Malawat
Designation : Director
Date: 2026.06.04 1?:55:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22617715
M e-Sign

उक्त निर्देशों की प्रति संबंधित परिक्षेत्र की महिला पर्यवेक्षक व धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत खोले गए आंगनबाडी केन्द्र की कार्यकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।

(वासुदेव मालावत)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ.3(161)/पोषा/बजट घोषणा/आईसीडीएस/2023 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया, म.बा.वि. राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर-..
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला-..............................
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग), मुख्यालय।
8. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9. एनालिस्ट कम प्रोगामर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निम्नलिखित को प्रेषित कर लेख है कि आंगनबाडी केन्द्रों पर गैस कनेक्शन व दो बर्नर गैस चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए अपने-अपने अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर्स को समुचित निर्देश जारी करने का श्रम करें -

1. मुख्य महाप्रबन्धक (एलपीजी), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. जयपुर।
2. रीजन हैड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., जयपुर।
3. स्टेट हैड (एलपीजी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Vasudev Malawat
Designation : Director
Date: 2026.06.04 11:55:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22617715
M e-Sign